तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही या मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुए
15/3/24	पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष उपस्थित। श्रीमान् पीठासीन अधिकारी महोदय, ...दौरे में.......है। अतः पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 7/6/24 को पेश हो।	
7/6/24	पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष उपस्थित। श्रीमान् पीठासीन अधिकारी महोदय, ...दौरे पे.........है। अतः पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 16/8/24 को पेश हो।	
16/8/24	पत्रावली पेश हुई वकील प्रार्थी उपस्थित। अप्रार्थीगण अनुपस्थित जवाब पेश नहीं/ अंतरिम निषेधाज्ञा बाबत बहस सुनी गयी पत्रावली वास्ते आदेश दि. 4.10.24 को पेश हो।	
4/10/24	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। अप्रार्थी सं. 1 लगायत 4 अनुपस्थित। कक-कक तीन बार आवाज लगाई गयी, परन्तु वे अनुपस्थित रहे। अतः अप्र० सं. 1,2,3,4 के विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही के आदेश किया जाता है। पत्रावली वास्ते बहस दिनांक 11.11.24 को पेश हो।	
	Signature Not Verified Digitally signed by Dinesh Kumar Meena Date: 2024.12.10 11:42:48 IST Reason: SelfAttested	न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिडावा जिला झालावाड़
11/11/24	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। वकील प्रार्थी की बहस प्रा० पत्र u/s 212 RT Act के परिपेक्ष्य में पत्रावली का अवलोकन किया गया। धारा- 212 RT	

Scanned with OKEN Scanner

Act r.w. O39 R1&2 CPC के प्रा० पत्र को adjudicate करने के लिए निम्न 03 बिन्दुओं पर जाँचना आवश्यक है

(अ) प्रकरण प्रथम द्रष्टया :- अभिभाषक प्रार्थी द्वारा बहस के दौरान कथन किया कि ग्राम बोरदा तहसील पिड़ावा की वादग्रस्त आराजी खाता (पुराना) सं० 73 किता 03 रकबा 0-18 बिस्वा जिसका हाल खाता सं० 94 ख० नं० 408 रकबा 0.0253 गै० मु० चाह व खाता सं० 361 ख० नं० 245 & 246 किता 2 कुल रकबा 0.9023 hac प्रार्थी के खाते व कब्जे की आराजी है जिससे अप्रार्थीगण का कोई सरोकार नहीं है। अतः प्रकरण प्रथम द्रष्टया प्रार्थी के पक्ष में है।

अभि० प्रार्थी की बहस प्रा० पत्र के परिप्रेक्ष्य में पत्रावली का अवलोकन किया गया। ग्राम बोरदा तहसील पिड़ावा की जमाबंदी संवत 2076-79 के अनुसार वादग्रस्त आराजी पुराना खाता सं० 73 किता 3 रकबा 0-18 बीघा हाल खाता सं० 94 व 361 में प्रार्थी कालूलाल हिस्सा 1/8 का सहखातेदार दर्ज रिकार्ड है जबकि अप्रार्थी क्रम 1&2 हिस्सा 1/24-1/24 व अप्रार्थी क्रम 3&4 हिस्सा 1/72-1/72 के सहखातेदार दर्ज है। वादग्रस्त आराजी में से ख० नं० 245 व 408 किस्म गै० मु० चाह यानी कुऐ है। सिंचाई के स्त्रोत के रूप में कुऐ (गै० मु० चाह) पर सभी सहखातेदारों का एकसमान हक व अधिकार होता है, कुऐ पर किसी एक सहखातेदार द्वारा कब्जा करना गलत है क्योंकि सिंचाई स्त्रोत को easemantary Rights माना जाता है। ख० नं० 246 भी सहखाता... दर्ज है। प्रार्थी द्वारा कोई भी ... documentary or oral or/and both evidence पेश नहीं किया है जिससे वादग्रस्त आराजी पर बर्षों से केवल प्रार्थी का ही कब्जा काश्त चला आ रहा हो। विशेष परिस्थिति के अतिरिक्त, सहखातेदारों के विरुद्ध स्थगन भी न्यायोचित

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड़

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2024.12.10 16:42:48 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

हुक्म या कार्यवाही या मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुए
नहीं है। अतः प्रकरण प्रथम दृष्ट्या प्रार्थी के पक्ष में साबित नहीं है। (ब) सुविधा का संतुलन :- अभि० प्रार्थी द्वारा बहस के दौरान कथन किया कि प्रार्थी के खाते व कब्जे की वादग्रस्त आराजी पर अप्रार्थीगण जबरन कब्जा करने की धमकी दे रहे हैं। यदि जबरन कब्जा करने से यदि अप्रार्थीगण को पाबंद नहीं करने पर सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में है। प्रकरण प्रथम दृष्ट्या प्रार्थी के पक्ष में नहीं है। वादग्रस्त आराजी जिसमें दो मं० मु० चाह भी शामिल है, पर उसके कब्जे काश्त का प्रार्थी द्वारा कोई दस्तावेजी / मौखिक साक्ष्य पेश नहीं किया है। जब तक प्रार्थी का कब्जा व शांतिपूर्ण कब्जा काश्त साबित नहीं होता है, तब तक सभी सहखातेदारों का सहखाते की आराजी के प्रत्येक भाग पर एकसमान हक व अधिकार माना जावेगा। अतः बिना किसी मजबूत साक्ष्य के, प्रार्थी के पक्ष में स्थगन निषेधाज्ञा जारी करने से अप्रार्थीगण को अधिक असुविधा होगी। अतः सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में साबित नहीं है। (स) अपूरणीय क्षति :- हस्तगत प्रकरण में, प्रकरण प्रथम दृष्ट्या और सुविधा का संतुलन, दोनों प्रार्थी के पक्ष में साबित नहीं है। अपूरणीय क्षति होना भी साक्ष्य के अभाव साबित नहीं है। उपरोक्त विवेचन व विश्लेषण के आधार पर प्रार्थी का प्रा० पत्र अन्तर्गत आदेश 39 नियम 1 व 2 cpc खारिज किया जाता है। पत्रावली मूल केस होल्ड नम्बर से मय होल्ड मूलवाद के साथ संलग्न हो। उपखण्ड अधिकारी पिडावा, जिला झालावाड़ (राज०)	

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2024.12.10 16:42:48 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिडावा जिला झालावाड़

Scanned with OKEN Scanner